260

संख्याः– /XVIII(II)/2013–01(06)/2013

प्रेषक

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः ।। दिसम्बर, 2013

विषयः–मै0 सुपर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रा0लि0 को भ्यूँडार गंगा जल विद्युत परियोजना क्षमता 24.3 मे0वा0 के निर्माण हेतु तहसील जोशीमठ के ग्राम पुलना तथा पाण्डुकेश्वर में क्रमशः 12 नाली 11 मुट्ठी, 19 नाली 11 मुट्ठी तथा 19 नाली 09 मुट्ठी अर्थात 51 नाली 15 मुट्ठी भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–2605/सात–36(2008–09) दिनांक–14.02.2013, 2606/सात–36(2008–09) दिनांक–14.02.2013 तथा पत्र संख्या–2607/सात–36(2008–09) दिनांक–14.02.2013 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै0 सुपर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रा0लि0 को भ्यूँडार गंगा जल विद्युत परियोजना क्षमता 24.3 मे0वा0 के निर्माण हेतु तहसील जोशीमठ के ग्राम पुलना तथा पाण्डुकेश्वर में क्रमशः 19 नाली 09 मुट्ठी, 19 नाली 11 मुट्ठी तथा 12 नाली 11 मुट्ठी अर्थात 51 नाली 15 मुट्ठी भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति एवं आपके उपरोक्त पत्रों द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओ के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (जल विद्युत परियोजना के निर्माण) के लिये

.....2

करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

3– इकाई द्वारा उक्त नदी पर परियोजना विकास एवं निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली धनराशि को वापस करने हेतु उत्तराखण्ड शासन का कोई उत्तर दायित्व नहीं होगा।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– ईकाई द्वारा परियोजना के निर्माण से पूर्व, विभिन्न विभागों से वांछित अनुज्ञा, अनापत्ति/सहमति यथा–ऊर्जा विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व, जिला प्रशासन तथा राज्य व केन्द्रीय कानूनों के तहत, अपेक्षित स्वीकृतियां स्वंय प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

8– ईकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में, उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

9– ईकाई को प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन के पूर्व ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की संस्तुति प्राप्त करनी होगी तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

10– ईकाई को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नही होगा।

11– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

.....3

12– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

13– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगें।

14– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉं/स्वीकृतियॉं प्राप्त कर ली जायेगी।

15– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0– 3846 /समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4– प्रबन्धक मै0 सुपर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रा0लि0, ग्राम व पोस्ट पाण्डुकेशवर वाया जोशीमठ, जिला चमोली।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।